प्रेषक,

मोहन लाल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उ0प्र0
लखनऊ ।

सहकारिता अनुभाग–3 लखनऊ :: दिनांक ::28 फरवरी, 2010.

विषयः–रसायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत दिनांक 18–6–2008 से एन0पी0के0 मूल्यो में हुई कमी के कारण सहकारी समितियों को हुई हानि की स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 2600 / बीज–उर्वरक / बी–198, दिनांक 22 फरवरी, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रसायनिक उर्वरको के अग्रिम भण्डारण योजना के अन्तर्गत आय–व्ययक 2009–10 के मूल बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 1530 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ तीस लाख) तथा प्रथम अनुपूरक मॉग के माध्यम से कराये गये प्राविधान रू0 1170.97लाख (रू0 ग्यारह करोड़ सत्तर लाख सत्तानवे हजार) जिसका कुल योग रू0 27.0097 करोड़ (रू0 सत्ताईस करोड़ सत्तानवे हजार) है, में से सहकारी समितियों द्वारा एन0पी0के0 उर्वरक को कम एम0आर0पी0 पर बेचे जाने के कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति किये जाने के निमित्त रू0 1,18,86,536 (रू0 एक करोड़ अठारह लाख छियासी हजार पॉच सौ छत्तीस मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :–

(1) प्रश्नगत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत हुयी है, उक्त धनराशि को अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय ।

(2) उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था तथा संगत नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन / महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) इस स्वीकृति के बाद सहकारी समितियों के घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु अन्य कोई धनराशि राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के

––2 /

आय–व्ययक के अनुदान संख्या–18 के अधीन लेखा शीर्षक "2425–सहकारिता–आयोजनेत्तर–00–800–अन्य व्यय–05–रसायनिक उर्वरको का अग्रिम भण्डारण योजना–00–27–सब्सिडी" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई–2–146/–2010, दिनांक 28 फरवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(मोहन लाल)
विशेष सचिव।

संख्या–666(1)/49–3–2010 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
3– वित्त नियंत्रक, निबंधक, सहकारी समितियॉ उ0प्र0 लखनऊ ।
4– वित्त (व्यय– नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
5– गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से,

(मोहन लाल)
विशेष सचिव।